फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 77 संख्याः 114 प्रभात जयपुर, बुधवार 25 नवम्बर, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot



From Cholamandalam to Coromandel

"Coromandel," a name Europeans applied to the eastern coastline of India. What began as a regional identity became, in European usage, a geographic label

"Toe the line!"

The Window Tax of 1696

जेनसेन हुआंग की वापसी से कोई भी गौरवान्वित नहीं हुआ है

न तो राष्ट्रपति ट्रंप, न ही हुआंग और न ही अमेरिका का कॉरपोरेट कल्चर

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का कंपनी के निदेशक मंडल से इस मुद्दे पर सीधे बात करना व उन्हें हुआंग को वापस लेने के निर्देश देना पूर्णतया गैरवाजिब है और निंदनीय है
- साथ ही इस प्रकरण ने यह भी उजागर किया कि कंपनी का निदेशक मंडल पूर्णतया सीईओ से अनुग्रहित था तथा उसमें ''प्रौफैश्नलिज़्म'' का नितांत अभाव था।
- निदेशक मंडल के सभी सदस्य वृद्ध थे और तीस-तीस साल से कंपनी निदेशक पद पर आसीन थे।
- निदेशक मंडल की कॉरपोरेट जिम्मेवारी होती है कि हर वरिष्ठ के विकल्प उसके पास तैयार हों तथा जरूरत पड़ने पर उस वैकल्पिक व्यवस्था को तुरन्त प्रभाव से क्रियान्वित किया जा सके।
- इन परिस्थितियों में कंपनी को, सीईओ के निंदनीय लज्जापूर्ण आचरण के बावजूद थूक कर चाटना पड़ा तथा हुआंग को उसके पुराने पद पर पुनः स्थापित करना पड़ा।

नई दिल्ली, 24 नवम्बर। जेनसेन हुआंग की वापसी के पीछे के रहस्य सार्वजनिक हो गए हैं। इससे न तो इस प्रसिद्ध सीईओ की छवि अच्छी बनी है और न ही अमेरिका में निष्पक्ष कॉरपोरेट गवर्नैंस (कॉर्पोरेट कामकाज के नियमों) की कोई अच्छी तस्वीर सामने आई है।

खबरों के अनुसार, अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप इस पूरे घटनाक्रम में सक्रिय रूप से शामिल थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कंपनी के बोर्ड को फोन किया था और हुआंग को वापस लाने का निर्देश दिया था।

तथापि, बोर्ड की अक्षमता को देखते हुए अब कई सुझाव दिए जा रहे हैं कि पूरे बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स को इस्तीफा दे देना चाहिए या कंपनी के मौजूदा बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स को हटा दिया जाना चाहिए।

इस पूरे घटनाक्रम में डॉनल्ड ट्रंप खुद शामिल थे। कुछ वरिष्ठ शिक्षाविद भी इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। इसके अलावा, एक मैनेजमैंट एक्सपर्ट भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल था, जिसके बाद हुआंग की वापसी हुई।

जैसे-जैसे यह खबर सामने आ रही है कि हुआंग की वापसी में ट्रंप का हाथ था, निवेशक राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। इस घटना से पता चलता है कि वहाँ कॉर्पोरेट गवर्नैंस के नियमों का पूरी तरह से अभाव है।

अमेरिका में ऐसा बहुत कम होता है कि राजनीतिक नेता कंपनियों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के चयन और नियुक्ति में सीधे दखल दें। लेकिन जैसे ही ट्रंप की भूमिका की खबरें सामने आने लगीं, निजी निवेश के मामलों में सरकार के हस्तक्षेप को लेकर व्यापक आलोचना होने लगी।

कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव पर 50 हजार रूपए का हर्जाना लगाया

- छः साल में फैमिली कोर्ट की दयनीय स्थिति पर ठोस जवाब पेश नहीं कर पाए।

जयपुर, 24 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट में संसाधनों के अभाव से जुड़े मामले में छह साल पहले दिए आदेश की पालना में ठोस जवाब पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में मुख्य सचिव पर पचास हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। सीजे संजय के. अग्रवाल की खंडपीठ ने ये आदेश ''जागो जनता'' सोसायटी की ओर से साल 2011 में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने 29 अगस्त, 2019 को राज्य सरकार को निर्देश दिए थे, जिनमें कहा गया था कि राज्य सरकार फैमिली कोर्ट में न्यायिक कक्षों की उपलब्धता, पेयजल, शौचालय, रिकॉर्ड रूम, फोटोकॉपी जैसे सुविधा के लिए नवीनतम स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। इसके साथ ही, अदालत ने इन सुविधाओं का सारणीबद्ध विवरण छह सप्ताह में दायर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा ने चुपचाप, अकाली दल को ''बड़ा भाई'' सहर्ष स्वीकार किया

गठबंधन के बाद भाजपा 46 सीटों पर तथा अकाली दल 71 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- और अमित शाह ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की कि ''बड़ा भाई'' ही मु.मंत्री बनेगा।
- कई महीनों से भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन व बादल के बीच गठबंधन पर बातचीत चल रही थी और अंतिम दौर में अमित शाह भी वार्ता में शामिल हुए, छोटी-छोटी सलवटें दूर करने के लिए।
- नवीन सर्वेक्षणों के अनुसार, दोनों पार्टियाँ अगर अलग-अलग अस्तित्व बनाए रखती हैं तो दोनों का राजनीतिक भविष्य खास उज्जवल नहीं है। पर, अगर गठबंधन कर चुनाव लड़ती हैं तो सशक्त राजनीतिक ताकत बन कर उभरने की काफी संभावना बनती है।

नई दिल्ली, 24 नवंबर। भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने मंगलवार को छह साल के अलगाव के बाद, एक बार फिर अपना गठबंधन बहाल कर लिया। इसके साथ ही 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ एक त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बन गई है।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में गठबंधन की घोषणा की। अमित शाह ने कहा कि दोनों दल पंजाब की सभी 117 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अकाली दल गठबंधन में ''बड़े भाई'' की भूमिका में रहेगा और मुख्यमंत्री का पद भी अकाली दल को ही मिलेगा। सूत्रों के अनुसार, भाजपा करीब 46 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी 71 सीटें अकाली दल के हिस्से में आएंगी।

उन्होंने कहा कि गठबंधन की प्राथमिकता नशे की समस्या को खत्म करना, किसानों का कल्याण और हिंदू-सिख एकता को मजबूत करना होगा। इस गठबंधन की वापसी से पंजाब के चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। सन् 2022 में दोनों दलों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था और उन्हें बहुत कम सीटें मिली थीं। अकाली दल को तीन और भाजपा को दो सीटें मिली थीं, जबकि आम आदमी पार्टी ने भारी जीत हासिल कर सत्ता संभाली थी। अब भाजपा और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सांगानेर में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने

बम्बाला गांव स्थित खसरा नंबर 403 पर बसे लोगों को नोटिस देकर सुनवाई करने के बाद अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे राजस्थान हाईकोर्ट ने

-यादवेन्द्र शर्मा-

- सुप्रीम कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नगर निगम ने लोगों का पक्ष सुने बिना ही सीधे तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी।

जयपुर, 24 नवम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने सांगानेर-प्रताप नगर के खसरा नंबर 403 में अतिक्रमण हटाने के लिए ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश एम.एम.सुंदरेश और न्यायाधीश प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने यह आदेश मनोज व अन्य द्वारा विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई करते हुए दिए। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हिमांशु जैन, ताराचंद सिंह व ऋषिराज माहेश्वरी व अन्य पैरवी के लिए पेश हुए थे।

याचिका में बताया गया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2022 में प्रताप नगर सेक्टर-5 की विकास समिति की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, सांगानेर के बंबाला गांव स्थित खसरा नंबर 403 में अतिक्रमण के संदर्भ में ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे। अदालत को बताया गया था कि यह क्षेत्र राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा विकसित किया गया था, यहां काफी अतिक्रमण हुए हैं, जिन्हें हटाया नहीं गया था। हाईकोर्ट को बताया गया था कि यह भूमि हाउसिंग बोर्ड के क्षेत्राधिकार में नहीं है, क्योंकि इसे नगर निगम जयपुर को सौंप दिया गया है।

अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए नगर निगम को आदेश दिए थे कि सभी अतिक्रमियों को नोटिस देकर सुनवाई करे और कानून सम्मत कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाए। गौरतलब है कि इस मामले की रिव्यू पिटिशन भी हाईकोर्ट में दायर की गई थी, परंतु अदालत ने अपना फैसला बरकरार रखा।

अब इस मामले को लेकर एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी उन्हें नगर निगम जयपुर ने सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया, सीधे ही मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी।

अदालत में याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि नगर निगम ने तोड़फोड़ की यह कार्रवाई पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की उस नीति के विपरीत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जहर पीकर युवती शिकायत करने थाने पहुँची

- जवाहर सर्किल पुलिस ने तुरंत अस्पताल पहुँचाया, स्थिति खतरे से बाहर।

जयपुर, 24 नवम्बर। जवाहर सर्किल थाने में सोमवार देर शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवती जहर पीकर शिकायत दर्ज करवाने पहुंच गई। युवती ने पुलिसकर्मियों को जहर पीने की जानकारी दी तो उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस की मदद से उसे जयपुरिया अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद युवती को एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

पुलिस के अनुसार, युवती एक युवक से बातचीत करती है, जिसका उसके परिजन विरोध कर रहे थे। इसी बात को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि जवाहर सर्किल थाने पहुंचने से पहले युवती ने परिजनों को वीडियो कॉल किया और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'शेख हसीना को हथकड़ी पहने, पुलिस की निगरानी में ही वापस आना होगा'

बाँग्लादेश के विदेश मंत्री हुमायूं कबीर ने शेख हसीना के, एयरलाइंस से 16 दिसंबर को बाँग्लादेश आने के प्लान को सरासर मन का भ्रम व भ्रांति और आधारहीन कल्पना बताया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- कबीर ने व्यंग्य कसते हुए कहा, मनोकामना व यथार्थ में बहुत फर्क होता है।

नई दिल्ली, 24 नवम्बर। बाँग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने मंगलवार को कहा कि अपदस्थ प्रधानमंत्री और अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना को देश में एक कैदी के रूप में ''हथकड़ी पहनकर और कड़ी निगरानी में'' वापस आना होगा। उन्होंने भारत से 16 दिसंबर को ''बिमान बाँग्लादेश एयरलाइंस'' की उड़ान से वापस लौटने की हसीना की कथित योजना को कोरी कल्पना करार दिया। दूसरी ओर, बाँग्लादेश के इन्टरनैशनल क्राइम्स ट्रिब्युनल (आईसीटी) के मुख्य अभियोजक ने हसीना की उस मांग को ''पागलपन'' बताया, जिसमें उन्होंने घर लौटने के लिए विमान उपलब्ध कराने को कहा था।

''प्रोथोम आलो'' की रिपोर्ट के अनुसार, ढाका में विदेश मंत्रालय में विदेशी राजनयिकों को जानकारी देने के बाद, पत्रकारों से बात करते हुए कबीर ने कहा, ''इच्छा और वास्तविकता दो अलग-अलग बातें हैं।''

''द बिजनेस स्टैंडर्ड'' के अनुसार, ''वास्तविकता यह है कि किसी आतंकवादी को प्रत्यर्पण के अलावा किसी और तरीके से वापस आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वे कोई सामान्य कमर्शियल यात्री नहीं हैं। उन्हें केवल हथकड़ी लगाकर और कड़ी निगरानी में ही वापस लाया जा सकता है।''

ये बयान उस समय आए, जब कुछ घंटे पहले ही हसीना के प्रवक्ता ने ''रॉयटर्स'' को बताया था कि पूर्व प्रधानमंत्री 16 दिसंबर को बांग्लादेश लौटने का इरादा रखती हैं, जिस दिन देश में ''विजय दिवस'' मनाया जाता है।

एक बयान में हसीना के प्रवक्ता सैयद मोजम्मेल अली ने कहा कि वे चाहती हैं कि बांग्लादेश सरकार राष्ट्रीय विमान सेवा, बिमान बाँग्लादेश एयरलाइंस के विमान से दिल्ली से उनकी वापसी की व्यवस्था करे।

अली ने कहा, ''चूंकि शेख हसीना

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

युवती ने पुलिसकर्मी पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया

- सोशल मीडिया पर डाले वीडियो की पुलिस ने जाँच शुरु की।

जयपुर, 24 नवम्बर। राजधानी जयपुर में एक युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर पुलिसकर्मी पर अभद्र व्यवहार करने और परेशान करने का आरोप लगाया है। युवती का दावा है कि मानसरोवर स्थित पैसिफिक मॉल से ऑटो में बैठकर जाते समय एक कार ने उसका पीछा किया। कार में सवार पुलिसकर्मी ने कथित तौर पर ऑटो चालक से उसका मोबाइल नंबर मांगने के लिए कहा और अभद्र इशारे भी किए। युवती ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड करने के साथ ही, कार का नंबर भी अपने पास होने की बात कही है।

युवती के अनुसार, यह घटना रविवार की है। उसने घटना का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया है। वीडियो में युवती ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जिला प्रमुख : कांग्रेस के पास 23 जिलों में बढ़त, पर एक तिहाई पर खतरा

भाजपा के पास 5 जिलों में स्पष्ट बहुमत, बाकी आठ जिलों में निर्दलीय व अन्य दलों के हाथ में जीत की चाबी

-कार्यालय संवाददाता-

- वैसे तो प्रदेश के ग्रामीण मतदाताओं ने काफी हद तक स्पष्ट जनादेश दिया है, पर इस चुनाव में दल-बदल रोधी कानून लागू नहीं होने के कारण सियासी जोड़-घटाव चरम सीमा पर है।

जयपुर, 24 नवम्बर। राजस्थान में जिला प्रमुख की कुर्सी को लेकर बुधवार को सियासी घमासान होगा। प्रदेश की सभी 37 जिला परिषदों में जिला प्रमुख के चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव परिणामों के मुताबिक, कांग्रेस के पास 23 जिलों में स्पष्ट बहुमत है, जबकि भाजपा के पास केवल 5 जिलों में बहुमत है। नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के पास बहुमत है। वहीं, 8 जिलों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण, वहां निर्दलीय और अन्य दलों की भूमिका जिला प्रमुख बनाने में अहम होगी।

उधर भाजपा की ओर से सभी 37 जिलों में चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम भी उजागर नहीं किए हैं। बहुमत के बावजूद कांग्रेस को अपने सदस्यों को एकजुट रखने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने भाजपा पर हॉर्स ट्रेडिंग, प्रलोभन और पुलिस-प्रशासन के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। पार्टी ने भरतपुर में 3 जिला परिषद सदस्यों को उठा ले जाने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस ने जिला प्रमुख के उम्मीदवार तय करने की जिम्मेदारी सांसदों और जिला अध्यक्षों को सौंपी है। संबंधित विधायकों की राय लेकर स्थानीय समीकरणों के आधार पर नाम तय किए जाएंगे। उम्मीदवारों की घोषणा देर रात या ऐन वक्त पर हो सकती है।

आंकड़ों के मुताबिक, कांग्रेस के पास 23 जिलों, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनूं, जोधपुर, कोटपूतली-बहरोड़, फलौदी, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही और टोंक में स्पष्ट बहुमत हैं। इसी प्रकार, भाजपा के पास 5 जिलों, अजमेर, ब्यावर, झालावाड़, पाली और उदयपुर में स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा है, जबकि आरएलपी के पास नागौर में स्पष्ट बहुमत है।

इनके अलावा, शेष 8 जिलों - बालोतरा, बांसवाड़ा, डीडवाना-कुचामन, डीग, डूंगरपुर, खैरथल-तिजारा, प्रतापगढ़ और सलूंबर में त्रिशंकु स्थिति बनी हुई है। इन जिलों में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। ऐसे में यहां निर्दलीय अथवा अन्य दलों का समर्थन ही जिला प्रमुख बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

देखा जाए तो प्रदेश के ग्रामीण मतदाताओं ने हालांकि बहुत हद तक स्पष्ट जनादेश दिया है, लेकिन इस चुनाव में दल-बदल रोधी कानून लागू नहीं होने के कारण सियासी जोड़-घटाव चरम पर है और भाजपा व कांग्रेस दोनों ही दल अपनी बढ़त वाले जिलों को भी सुरक्षित नहीं मान पा रहे हैं। यही कारण है कि सभी जिलों में अपने निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों को किसी भी तरह एकजुट रखने की कवायद अखिरी क्षण तक चलती रही और मतदान तक भी चलती रहने के आसार हैं।

सूत्रों के मुताबिक, सीटों के लिहाज से भाजपा वैसे तो 5 जिलों अजमेर, ब्यावर झालावाड, पाली और उदयपुर में बढ़त में है, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित अजमेर और पाली माने जा रहे हैं, जबकि ब्यावर, झालवाड और उदयपुर में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में दो-तीन निर्वाचित सदस्यों की क्रॉस वोटिंग भी पार्टी के लिए खतरा बन सकती है।

कांग्रेस के पास 23 जिलों में बढ़त है। इनमें से 17 जिलों में पार्टी के पास इतनी बढ़त है कि भाजपा को अपना बोर्ड

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

यूपी क पूर्व सांसद को तीन साल की सजा

- उन पर 28 साल पहले अधिकारियों के साथ मारपीट व सरकारी वाहन जलाने का आरोप था।

लखनऊ, 24 नवंबर। लखनऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को 28 साल पुराने मामले में पूर्व राज्यसभा सदस्य बनवारी लाल कंछल समेत, तीन दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा, सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। यह पूरी घटना 28 साल पहले 12 अगस्त 1998 की है। आरोप है कि हजरतगंज स्थित व्यापार कर भवन में अधिकारियों से मारपीट, सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ की गई थी और एक सरकारी वाहन को आग के हवाले कर दिया गया था। तत्कालीन असिस्टेंट कमिश्नर एमएम कटियार की तहरीर पर हजरतगंज थाने में पूर्व राज्यसभा सांसद बनवारी लाल कंछल के अलावा हुकुमचंद अग्रवाल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)